मथुरा पुलिस

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

दिनांक 03.12.2025 प्रेस नोट थाना कोसीकलाँ।

कोसीकलाँ पुलिस व आबकारी विभाग मथुरा की संयुक्त कार्यवाही में एक अन्तर्राजीय शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, कब्जे से 50 पेटी अवैध अग्रेजी शराब चण्डीगढ मार्का, एक मोटर पार्टस की मथुरा रिफाइनरी के नाम से फर्जी बिल्टी (दस्तावेज) एवं तस्करी में प्रयुक्त वाहन रजि0 संख्या UP 14 QT 6851 बरामद।

कोसीकलाँ पुलिस व आबकारी विभाग मथुरा की संयुक्त कार्यवाही में दिनांक 02.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर एक शराब तस्कर जसवीर पुत्र ईश्वर सिंह निवासी रोहना थाना खरखौंदा जिला सोनीपत हरियाणा उम्र करीब 32 वर्ष को कोटवन चौकी बैरियर एन0एच0 19 पर दिल्ली से मथुरा लेन से 50 पेटी अवैध अग्रेजी शराब चण्डीगढ मार्का, एक मोटर पार्टस की मथुरा रिफाइनरी के नाम से फर्जी बिल्टी (दस्तावेज) एवं तस्करी में प्रयुक्त वाहन रजि0 संख्या UP 14 QT 6851 के साथ किया गिरफ्तार। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोसीकलाँ पर मु0अ0स0 733/2025 धारा 60(1)/63/72 आबकारी अधिनियम व धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुये न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्त पुलिस से बचने लिये शराब की पेटियों को मोटर पार्टस की तरह पैकिंग कर मोटर पार्टस की फर्जी बिल्टी बनवाकर शराब की तस्करी काम करता है। दिनांक 02.12.2025 को भी अभियुक्त द्वारा मथुरा रिफाइनरी के नाम से मोटर पार्टस की फर्जी बिल्टी बनवाकर हरियाणा से शराब प्रतिबंधित राज्य बिहार में बेचने के लिये ले जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान अभियुक्त उपरोक्त को 50 पेटी अवैध अग्रेजी शराब चण्डीगढ मार्का, एक मोटर पार्टस की मथुरा रिफाइनरी के नाम से फर्जी बिल्टी (दस्तावेज) व तस्करी में प्रयुक्त वाहन रजि0 संख्या UP 14 QT 6851 के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता--
जसवीर पुत्र ईश्वर सिंह निवासी रोहना थाना खरखौंदा जिला सोनीपत हरियाणा उम्र करीब 32 वर्ष।

अभियुक्त की गिरफ्तारी का स्थान, दिनाकं व समय—
कोटवन चौकी बैरियर एन0एच0 19 पर दिल्ली से मथुरा लेन से, दिनांक 02.12.2025 समय 23.55 बजे।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का आपराधिक इतिहास का विवरण--
मु0अ0सं0 733/2025 धारा 60(1)/63/72 आबकारी अधिनियम व धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना कोसीकलां मथुरा।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त से बरामदगी का विवरण--
1.50 पेटी अवैध अग्रेजी शराब चण्डीगढ़ मार्का।
2.तस्करी में प्रयुक्त एक वाहन रजि0 संख्या UP 14 QT 6851
3.एक मोटर पार्टस की मथुरा रिफाइनरी के नाम से फर्जी बिल्टी (दस्तावेज)।

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण--
1.प्र0नि0 अजय कौशल थाना कोसीकलां जनपद मथुरा।
2.आबकारी निरीक्षक सुश्री अंजली शर्मा मय टीम क्षेत्र 2 जनपद मथुरा।
3.उ0नि0 अवन कुमार थाना कोसीकलां जनपद मथुरा।
4.का0 1179 सौरभ थाना कोसीकलां जनपद मथुरा।
5.का0 1743 संजय मलिक थाना कोसीकलां जनपद मथुरा।